रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07112026-277791
CG-DL-E-07112026-277791

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 872] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 5, 2026/कार्तिक 14, 1948
No. 872] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 5, 2026/KARTIKA 14, 1948

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 नवंबर, 2026

सा.का.नि. 974(अ).— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड), (राजभाषा में समूह 'क' पद), भर्ती नियम, 2019 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ**- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड), (राजभाषा में समूह 'क' पद), भर्ती (संशोधन) नियम, 2026 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) में, (राजभाषा में समूह 'क' पद), भर्ती नियम, 2019, की अनुसूची में, क्रम संख्या 4 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को रखा जाएगा, अर्थात्:—

पद का नाम।	पदों की संख्या।	वर्गीकरण।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर।
(1)	(2)	(3)	(4)
"4. सहायक निदेशक(राजभाषा)।	11* (2026) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	भारतीय रेल सेवा, समूह 'क', राजपत्रित अनुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-10 (₹56100-177500)।

चयन या अचयन पद।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं।	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु एवं शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी।
(5)	(6)	(7)	(8)
चयन।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत।	प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती की दशा में, वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति की जाएगी।
(9)	(10)	(11)
दो वर्ष।	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने की दशा में होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।	**प्रोन्नति**: रेलवे बोर्ड के राजभाषा संवर्ग का ऐसे वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी जिसने वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 (₹44900-142400) में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो और रेल मंत्रालय द्वारा विनिर्दिष्ट राजभाषा के सभी पहलुओं में छह सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया हो; टिप्पण 1: इन नियमों की अधिसूचना की तारीख को नियमित आधार पर फीडर ग्रेड पद अर्थात वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी (स्तर-7) पर पद धारित किए व्यक्तियों के लिए प्रोन्नति के लिए पात्रता सेवा तीन वर्ष ही रहेगी। टिप्पण 2: जहाँ ऐसे कनिष्ठ कर्मचारियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक अथवा पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे वरिष्ठ अधिकारियों के बारे में भी विचार किया जाएगा परंतु उनकी अर्हक अथवा पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक अथवा पात्रता सेवा के आधे से अधिक अथवा दो वर्ष, जो भी कम

		हो, की कमी न हो, और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ अधिकारियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक अथवा पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, के साथ अगले उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **प्रतिनियुक्ति**: केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के अंतर्गत राजभाषा संवर्ग के ऐसे अधिकारी; (i) जो मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारित किए हो; अथवा (ii) जिन्होने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-9 (₹53100-167800) में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात दो वर्ष सेवा की हो; अथवा (iii) जिन्होने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-8 (₹47600-151100) नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात चार वर्ष की सेवा की हो; अथवा (iv) जिन्होने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 (₹44900-142400) में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात पांच वर्ष की सेवा की हो। टिप्पण 1:- फीडर प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त अधिकारी प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसमें इस नियुक्ति से ठीक पहले केंद्रीय सरकार के उसी अथवा किसी अन्य संगठन अथवा विभाग में किसी अन्य संवर्ग-बाह्य पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि शामिल है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन की प्राप्ति की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति हो, तो उसकी संरचना क्या है।	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।**
(12)	**(13)**
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) में निम्नलिखित होंगे:- 1. अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग -अध्यक्ष; 2. सचिव, रेलवे बोर्ड - सदस्य; 3. कार्यपालक निदेशक स्थापना (आरक्षण), रेलवे बोर्ड - सदस्य. **समूह 'क' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) में निम्नलिखित होंगे:-** 1. सचिव, रेलवे बोर्ड - अध्यक्ष; 2. कार्यपालक निदेशक स्थापना (आरक्षण), रेलवे बोर्ड - सदस्य; 3. निदेशक (राजभाषा), रेलवे बोर्ड - सदस्य.	प्रोन्नति पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना आवश्यक है।"

[फा.सं. ईआरबी-I/2024/11/2]

वी. एस. दहिया, संयुक्त सचिव (राजपत्रित)

टिप्पण:- मूल नियम भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 363(अ.), तारीख 14 मई, 2019 के अधीन प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd November, 2026

G.S.R. 974(E).— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Ministry of Railways (Railway Board), (Group 'A' posts in Official Language), Recruitment Rules, 2019, namely:-

1. Short title and Commencement.- (1) These rules may be called the Ministry of Railways (Railway Board), (Group 'A' posts in Official Language), Recruitment (Amendment) Rules, 2026.

(2) These shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Ministry of Railways (Railway Board), (Group 'A' posts in Official Language), Recruitment Rules, 2019, in the Schedule, for serial number 4 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:—

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in pay matrix.
(1)	(2)	(3)	(4)
"4. Assistant Director (Official Language).	11* (2026) *Subject to variation dependent on workload.	Indian Railways Service, Group 'A', Gazetted, Ministerial.	Level-10 in the pay matrix (Rs.56100-177500).

Whether selection post or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees.
(5)	(6)	(7)	(8)
Selection.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation, grades from which promotion/deputation to be made.
(9)	(10)	(11)
Two years.	By promotion, failing which by deputation.	**Promotion**: From Senior Translation Officer of Official Language Cadre of Railway Board with five years' regular service in level-7 in the pay matrix (Rs.44900-142400) and successful completion of training of six

		weeks in all aspects of Official Language as specified by the Ministry of Railways. Note 1: The eligibility service for promotion shall continue to be three years for persons holding the feeder grade post viz. Senior Translation Officer (Level-7) on regular basis on the date of notification of these rules. Note 2: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation: Officers of Official Language Cadre under the Central Government or State Government or Union territory Administration; (i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with two years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in level-9 in the pay matrix (Rs.53100-167800) in the parent cadre or department; or (iii) with four years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in level-8 in the pay matrix (Rs.47600-151100) in the parent cadre or department; or (iv) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in level-7 in the pay matrix (Rs.44900-142400) in the parent cadre or department. Note 1:-The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Note 2: The period of deputation including period of deputation in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years.

		Note 3:The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of application.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	**Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.**
(12)	**(13)**
Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- 1. Chairperson or Member, Union Public Service Commission - Chairperson; 2. Secretary, Railway Board - Member; 3. Executive Director Establishment (Reservation), Railway Board - Member. **Group 'A' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:-** 1. Secretary, Railway Board - Chairperson; 2. Executive Director Establishment (Reservation), Railway Board - Member; 3. Director (Official Language), Railway Board - Member.	Consultation with Union Public Service Commission is necessary on promotion."

[F.No. ERB-I/2024/11/2]

V. S. DAHIYA, Jt. Secy. (Gazetted)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

BHABAJIT DEKA